उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-9
संख्या-16/2020/पी-154/अड़तीस-9-20-10(पीएमजीएसवाई)/2003
लखनऊ : दिनांक-15 जून, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या-एन0आर0आर0डी0ए0-जी021(17)/1/2017-एफ0ए0(एफ0टी0एस0-353954) दिनांक-27.02.2020 द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के एकाउन्ट्स मैनुअल प्रोग्राम फण्ड के प्रस्तर-16.7 के अनुसार राज्य स्तर पर ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण में एक ऑडिट कमेटी गठित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। तद्क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या-110/एफ0-ऑडिट कमेटी/यूपीआरआरडीए/2020-21 दिनांक-21.05.2020 द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण में तीन सदस्यीय ऑडिट कमेटी का गठन सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया है-

क्र0सं0	पदनाम	कमेटी में पद
1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण।	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण।	सदस्य
3	मुख्य अभियन्ता (पीएमजीएसवाई) लोक निर्माण विभाग।	सदस्य

2- उक्त ऑडिट कमेटी भारत सरकार के उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक-27.02.2020 में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

3- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण उक्त ऑडिट कमेटी के सदस्य नहीं होंगे परन्तु कमेटी के सहायतार्थ रहेंगे। ऑडिट कमेटी की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार होगी तथा कमेटी की बैठक का कार्यवृत्त ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को भी पृष्ठांकित किया जायेगा।

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-16/2020/पी-154(1)/अड़तीस-9-2020 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, (एफ0एण्ड0ए0) राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेन्सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ
4- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियन्ता (पीएमजीएसवाई) लोक निर्माण विभाग उ0प्र0।
6- गार्डबुक।

आज्ञा से,

लाल धीरेन्द्र राव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।